भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2942
दिनांक 08.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम के तहत जल टावरों की सफाई

2942. श्री विवेक ठाकुरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत जल टावरों और आपूर्ति पाइपलाइनों के रखरखाव और सफाई के लिए धनराशि आवंटित की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) बिहार राज्य में इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगस्त 2019 से, जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।

जल राज्य का विषय है अत: पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव (ओ एण्ड एम) की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। जेजेएम कार्यसंबंधी दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्राम में जल आपूर्ति अवसंरचना के संचालन और रखरखाव में समुदाय की भूमिका पर बल दिया *गया है*। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे सृजित जल आपूर्ति अवसंरचना के लिए व्यापक संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) नीति तैयार करें। संचालन एवं रखरखाव के लिए जेजेएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं।

ग्राम पंचायत या इसकी उप-समिति अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/ पानी समिति/ उपयोगकर्ता समूह आदि को कम से कम 50% महिला सदस्यों के साथ गांव में जल आपूर्ति का संचालन और रखरखाव करना आवश्यक है। ओ एंड एम कार्य करने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक मार्गदर्शिका साझा की गई है। ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह आदि को जेजेएम से प्रोत्साहन निधि, वित्त आयोग अनुदान और आवर्ती शुल्क को पूरा करने के लिए सामुदायिक योगदान जैसे विभिन्न स्रोतों से ओ एंड एम के लिए निधियां प्राप्त करने के लिए खाता खोलने का अधिकार है।

कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) कार्यकलापों के लिए जेजेएम के अंतर्गत निधियों के वार्षिक आबंटन के 2% तक का उपयोग कर सकते हैं जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपस्कर, उपकरण, रसायन, कांच का सामान, उपभोज्य सामग्रियों की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड टेस्ट किटों (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी करना, जागरूकता सृजन, जल गुणवत्ता पर शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल है।

*****